GCMS IA - 2021/123

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर मुकाम करौली

रामदयाल पुत्र छाजूलाल जाति ब्राह्मण निवासी गढमोरा, तहसील नादौती जिला करौली (राज.) मृतक व अन्य — प्रार्थीगण

बनाम

रामजीलाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राह्मण आयु 80 वर्ष निवासी गढमोरा, तहसील नादौती जिला करौली (राज.) व अन्य — अप्रार्थीगण

मु.नं. 21/2021 कि.मु.–मुत. धारा 235 आर.टी.एक्ट तारीख रजु–26.08.2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26.08.2021	यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण की ओर से श्री लियाकत अली खान, एडवोकेट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नादौती में विचाराधीन दावा संख्या 50/18 उनवानी रामदयाल बनाम रामजीलाल वगै. व टी.आई. को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने बाबत् धारा 235 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिस पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगाकर यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उनकी दिनांक 31.08.2021 को सेवानिवृत्ति हो रही है। ऐसी स्थिति में 5 दिन के लिये पत्रावली को अन्य किसी न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना उचित नहीं है। पत्रावलियों में नियमित सुनवाई होना आवश्यक है। नवीन पदस्थापित होने वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण की पत्रावलियों में नियमित सुनवाई की जाने हेतु इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नादौती को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण को नवीन पदस्थापित होने वाले पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होने हेतु आगामी तारीख पेशी नियत करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी, नादौती को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर करौली	